"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2005—आश्विन 22, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (1978), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, संस्कृति, पर्यटन विभाग तथा समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 17-10-2005 से 22-10-2005 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8-9-2005 द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 30-8-2005 से 15-9-2005 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती पिल्ले को दिनांक 16-9-2005 से 19-9-2005 तक (4 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमाक ई-7/44/2004/1/2.—श्री विकास शील, भा.प्र.से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 3-10-2005 से 7-10-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2, 8 एवं 9 अक्टूबर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री शील, भा.प्र.से. के उक्त अवकाश अवधि में श्री सोनमणि वोरा, भा.प्र.से., कलेक्टर, जांजगीर-चांपा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक 3297/1783/2005/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3-10-2005 से 7-10-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2, 8 एवं 9 अक्टूबर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 10-10-2005 से 20-10-2005 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ ए 3-8/2001/1/एक.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 एवं 29 अक्टूबर 2004 द्वारा दी गई सुविधाओं से संबंधित आदेशों में केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लिये सुविधाओं में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

(1) स्टाफ व्यवस्था—

स्वीकृत 2 भृत्यों की सीमा में वृद्धि कर कुल 3 (तीन) भृत्य.

(2) दूरभाष—

रु. 5000/- प्रतिमाह दूरभाष व्यय की पात्रता में वृद्धि करते हुए रु. 10,000/- (रु. दस हजार केवल) प्रतिमाह.

2. भृत्यों के उपरोक्त पद को-टर्मिनस होंगे.

3. यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

4. भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को पूर्ववत् सुविधा उपलब्ध रहेगी.

5. उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय मांग संख्या-1-2013 में विकलनीय होगा.

इस स्वीकृति पर वित्त विभाग ने यू. ओ. क्रमांक 436/नियम/वित्त/चार/2005, दिनांक 30-8-2005 द्वारा सहमति प्रदान की है.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 7-9/04/1/6.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-10-2004 के कंडिका-3 के अनुक्रमांक-17 में वाक्यांश "माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव-सदस्य सचिव" के स्थान पर "मा. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य सचिव" प्रतिस्थापित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 6-3/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा न्यायमूर्ति माननीय श्री अनंग कुमार पटनायक, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 9-9-2005 से 15-9-2005 तक (सात दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-4-287/राजस्व/2005.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-एन नियत तारीख 26-1-1977 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिये अनुसूची में दर्शाए क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित करती है.

अनुसूची

अनु. क्रमांक	समाविष्ट क्षेत्र	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	सम्पूर्ण जिला सरगुजा	सरगुजा

(1)	(2)	(3)
2.	सम्पूर्ण जिला कोरिया	कोरिया
3.	सम्पूर्ण जिला बस्तर	बस्तर
4.	सम्पूर्ण जिला दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा
5.	संपूर्ण जिला कांकेर	कांकेर
6.	बिलासपुर में मरवाही, गौरेला-1, गौरेला-2, जनजाति विकास खण्ड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल.	बिलासपुर
7.	सम्पूर्ण जिला कोरबा	कोरबा
8.	सम्पूर्ण जिला जशपुर	जशपुर
9.	रायगढ़ में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया जनजाति विकास खण्ड.	रायगढ़
10.	दुर्ग में डौंडी जनजाति विकास खण्ड	दुर्ग
11.	राजनांदगांव में चौकी, मानपुर, और मोहला जनजाति विकास खण्ड	राजनांदगांव
12.	रायपुर में गरियावन्द, मैनपुर एवं छुरा जनजाति विकास खण्ड	रायपुर
13.	धमतरी में नगरी (सिहावा) जनजाति विकास खण्ड	धमतरी

Raipur, the 29th September 2005

No. F 4-287/Rev/2005.—In supersession of Departmental Notification Number 5-3-76-384 Seven-N stipulated dated 26-1-1977 the State Government hereby declare the following area shown as schedule, as specified area for the purpose of sub-section (6) of section 165 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

SCHEDULE

S. No. (1).	Area Comprised within the limits of Tahsil (2)	District (3)
1.	Whole District Surguja	Surguja
2.	Whole District Koria	Koria
3	Whole District Bastar	Bastar
4.	Whole District Dantewada	Dantewada
5.	Whole District Kanker	Kanker
6.	Marwahi, Gorella-1, Gorella-2, Tribal Development Blocks and Kota Revenue Inspector Circle in Bilaspur.	Bilaspur
7.	Whole District Korba	Korba
8.	Whole District Jashpur	Jashpur
9.	Dharamjaigarh, Gharghoda, Tamnar, Lailunga and Kharsia Tribal Development Blocks in Raigarh	Raigarh
10.	Dondi Tribal Development Block in Durg	Durg
11.	Chauki, Manpur and Mohla Tribal Development Blocks in Rajnandgaon	Rajnandgaon
12.	Gariaband, Mainpur and Chhura Tribal Development Blocks in Raipur	Raipur
13.	Nagri (Sihawa) Tribal Development Block in Dhamtari	Dhamtari

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-1-28/05/(6)52.—राज्य शासन, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार ग्रामोद्योग विभाग के श्री एन. पी. देवांगन, उप संचालक (हाथकरघा प्रभाग) को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न रूप से संयुक्त संचालक (हाथकरघा) के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत करते हुए संयुक्त संचालक, हाथकरघा के पद पर ग्रामोद्योग संचालनालय, (हाथकरघा प्रभाग) रायपुर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 18 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 15-97/2003/नौ/17.—विविध याचिका क्रमांक 209/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1 मार्च 2005 की अनुवृत्ति में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 28 मार्च 2005 के परिपेक्ष्य में महिला एवं पुरुष नसबंदी के निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन करती है. तद्नुसार कमेटी में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे —

राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी—

1. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	अध्यक्ष
2. संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य सचिव
3. एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ	सदस्य
4. एक शल्य क्रिया विशेषज्ञ	सदस्य
5. एक निश्चेतना विशेषज्ञ	सदस्य
6. राज्य परिवार कल्याण अधिकारी/संयुक्त संचालक (आर. सी. एच.)	सदस्य
7. विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य अधिकारी (यथा उप संचालक विधिक शाखा).	सदस्य

2. कमेटी की बैठक कम से कम छः माह में एक बार आयोजित की जावेगी.

3. कमेटी के अन्य कार्य निम्नानुसार होंगे —

1. प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध कराने वाले शासकीय एवं अशासकीय केन्द्रों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय मापदण्डों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.

2. प्रदेश एवं जिले में असफल नसबंदी के फलस्वरूप गर्भाधान संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करना.

3. आई. यू. डी. तथा ओरल पिल्स के फलस्वरूप होने वाली जटिलताओं की समीक्षा करना.

4. राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस गतिविधियों की समीक्षा करना.

5. परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय सुझाना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. शालवार, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2435/1926/32/03.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 66/आ. पर्या./32/2003 दिनांक 20-01-2004 द्वारा भिलाई-दुर्ग विकास योजना के अंतर्गत के ग्राम दुर्ग के उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम दुर्ग के सर्वे क्रमांक-543/1, क्षेत्रफल 0.607 में से 0.2319 हेक्टर सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक से वाणिज्यिक, सर्वे क्रमांक 571 पार्ट नजूल शीट क्रमांक-5 क्षेत्रफल 0.0306 हेक्टर सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक से मार्ग, सर्वे क्र. 570 पार्ट नजूल शीट क्रमांक-4 क्षेत्रफल 0.0953 हेक्टर सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक से पार्किंग/शेड, सर्वे क्रमांक 569 नजूल शीट क्रमांक-1/4 क्षेत्रफल 0.0246 आवासीय से वाणिज्यिक, सर्वे क्रमांक 569 नजूल शीट क्रमांक-1/7 क्षेत्रफल 0.123 हेक्टर आवासीय से वाणिज्यिक एवं मार्ग, सर्वे क्रमांक 569 नजूल सीट क्रमांक-1/1 पार्ट क्षेत्रफल 0.1680 हेक्टर आवासीय से सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक, को उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-दो, दुर्ग) विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2005

क्रमांक 7652/डी-2312/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन, छ.ग. उच्च न्यायालय की सहमति से कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सारणी के खण्ड (2) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करती है. न्यायाधीशगण दिनांक 1-10-2005 को आवश्यक रूप से अपने नये पद का पदभार ग्रहण करेंगे.

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	न्यायालय का नाम (3)
1.	श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति, अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) रायपुर.	न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर
2.	श्री सुरेन्द्र तिवारी, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति, अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) जगदलपुर.	न्यायालय, तृतीय अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
3.	श्रीमती अनुराधा खरे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर.	न्यायालय, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.
4.	श्रीमती माधुरी कातुलकर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर
5.	श्री छोटे लाल सिंग टेकाम, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम रायगढ़.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक 7744/डी-2304/21-ब/छ.ग./05.— राज्य शासन श्री हीरा सिंह मरकाम, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 7261/डी-2176/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 09-09-05 द्वारा कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 573/II-15-2/05/गोपनीय/05, दिनांक 22-09-05 के अनुपालन में कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग में द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर एतद्द्वारा पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ-13-7/2004/25-2/आजाक रायपुर, दिनांक 30-9-2005

राज्य स्तरीय आदर्श शाला पुरस्कार योजना वर्ष 2005

1. **योजना का उद्देश्य—**
इस योजना का उद्देश्य हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वस्थ्य शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है जिससे विद्यालयों में सर्वांगीण शैक्षिक परिदृश्य में सुधार हो तथा विद्यालयों में अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये बेहतर वातावरण तैयार हो सके.

2. **योजना का स्वरूप/कार्यक्षेत्र—**
इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत संचालित ऐसे समस्त शासकीय हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाग ले सकेंगे जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी दर्ज होकर अध्ययनरत हो.

3. **शाला का चयन का मापदण्ड—**
आदर्श शाला पुरस्कार हेतु शाला के चयन का मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

(अ) **शैक्षणिक उपलब्धि/प्रगति**

1. शाला का विगत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम, श्रेणी, प्रतिशत.
2. शाला के विद्यार्थियों का विगत तीन वर्षों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग तथा अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में उपलब्धि.
3. शाला में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, विज्ञान, कला, नृत्य, संगीत, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताओं में उपलब्धि.
4. शाला त्यागी दर न्यूनतम होनी चाहिये. दर्ज छात्रों में से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो.

(ब) **पाठ्येत्तर गतिविधियों में उपलब्धि**

1. क्विज, भाषण, तात्कालिक भाषण, वाद-विवाद, विज्ञान मेला, विज्ञान पहेली, ओलंपियाड आदि जैसे प्रतियोगिताओं में राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय उपलब्धियां.
2. क्रीड़ा के क्षेत्र में शाला का राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय उपलब्धियां.
3. पर्वतारोहण एवं साहसिक कार्यक्रमों में शाला की उपलब्धि
4. जल संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में शाला का योगदान/उपलब्धि.
5. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में शाला का उल्लेखनीय योगदान.
6. एन. एस. एस./एन.सी. सी./स्काउट गाईड/रेडक्रास की गतिविधियों के क्षेत्र में शाला की उल्लेखनीय उपलब्धि.
7. शाला प्रबंधन में सामुदायिक जनसहयोग हेतु किये गये प्रयास/उपलब्धियां.
8. शाला प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकाय की भूमिका.
9. नाट्य/सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धि.

(स) **शाला शैक्षणिक वातावरण एवं संसाधन**

1. हवादार एवं स्वास्थ्यकर पर्याप्त भवन व्यवस्था.
2. पर्याप्त खेल मैदान एवं खेल सुविधाएं.
3. शाला के शिक्षकों की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान/उपलब्धि.
4. शाला में समृद्ध पुस्तकालय.
5. शाला का सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला.
6. शाला में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रवंधन.
7. शाला परिसर की स्वच्छता.
8. शाला में अनुशासन.

4. **पुरस्कार राशि—**

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अलोच्य शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धि हेतु प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को प्रदान किया जायेगा.

पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार रुपये 3.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रुपये 2.00 लाख एवं तृतीय पुरस्कार रुपये 1.00 लाख का नगद होगा.

पुरस्कार की राशि शासन द्वारा निर्धारित दिंनांक को राज्य स्तर पर सम्मानपूर्वक प्रदान किया जायेगा.

5. **निर्णायक मण्डल का गठन—**

सर्वश्रेष्ठ शालाओं का चयन राज्य स्तर पर गठित निर्णायक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(अ)	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन आदिमजाति तथा अनु. जा. विकास विभाग.	अध्यक्ष
(ब)	आयुक्त/संचालक, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. वि.	सदस्य/सचिव
(स)	संचालक, लोक शिक्षण	सदस्य
(द)	संचालक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्	सदस्य
(इ)	शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हुए सेवानिवृत्त/सेवारत, शिक्षाविद.	सदस्य

6. **चयन का तरीका—**

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं का चयन राज्य स्तर पर गठित निर्णायक मण्डल द्वारा किया जावेगा.

निर्णायक मण्डल द्वारा प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर प्रथम 6 प्रविष्टियों वाले शालाओं का संयुक्त निरीक्षण कर सकेगी एवं उपलब्धियों के आधार पर अंतिम मूल्यांकन पश्चात् पुरस्कार हेतु योग्य शालाओं का चयन कर यथा संभव 30 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगी. निर्णायक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी को बाध्यकारी होगा.

7. **पुरस्कार योजना में शामिल होने की सीमा/शर्तें—**

1. शाला में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का अध्ययनरत होना अनिवार्य होगा.
2. इस योजना में प्रथम पुरस्कार प्राप्त विद्यालय अगले तीन वर्ष तक पुनः पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकेगी.

8. **पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों का आमंत्रण—**

पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर तक आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) में संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से जमा कराना होगा. प्रविष्टियों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र एवं रंगीन फोटोग्राम संलग्न होना चाहिए. प्रविष्टि ए-4 साईज कागज पर पुस्तिका के रूप में होना चाहिए. निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली प्रविष्टियां संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसित होना चाहिये.

9. **पुरस्कार राशि का उपयोग—**

प्राप्त पुरस्कार की राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :—

(1)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक	अध्यक्ष
(2)	प्राचार्य	सचिव
(3)	वरिष्ठ व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक	सदस्य
(4)	संस्था में अध्ययनरत एक बालक एवं बालिका	सदस्य
(5)	एक पालक	सदस्य

यह समिति शाला एवं छात्रों के शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों की प्राथमिकता तय कर कार्यों का चयन एवं अनुशंसा करेगी. पुरस्कार राशि के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति जिले के कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा उनके वित्तीय अधिकार सीमा अंतर्गत की जाकर भुगतान किया जावेगा.

शाला विकास के लिए कार्यों का निर्धारण वर्तमान शिक्षा सत्र में कर लिया जावे तथा निर्धारित कार्यों को आगामी शिक्षा सत्र में पूर्ण कर लिया जावे एवं किये गये कार्यों की जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त /जिला संयोजक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से संचालनालय को अवगत कराया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, संयुक्त सचिव.

आदर्श शाला पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास ....

1. शाला का विवरण —

(अ) शाला का नाम

(स) शाला का स्थापना वर्ष

2. शाला में दर्ज संख्या—

क्र.	कक्षा	दर्ज संख्या				योग	दर्ज संख्या				योग	महायोग	कुल दर्ज संख्या से अजा/अजजा वर्ग का प्रतिशत
		बालक					बालिका						
		अजा	अजजा	पि. वर्ग	सामान्य		अजा	अजजा	पि. वर्ग	सामान्य			
योग													

3. शाला में विशेष पिछड़ी जनजातियों (पी. टी. जी.) की संख्या—

क्र.	कक्षा	पी.टी.जी. की संख्या			शाला की कुल दर्ज संख्या से पी.टी.जी. का प्रतिशत	शाला के कुल अजजा दर्ज संख्या से पी.टी.जी. का प्रतिशत
		बालक	कन्या	योग		

4. **विशेष पिछड़ी जनजातियों का परीक्षा परिणाम—**

क्र.	कक्षा	परीक्षा में सम्मिलित पी.टी.जी. संख्या			उत्तीर्ण पी.टी.जी. संख्या				पी.टी.जी. का श्रेणीवार परीक्षा परिणाम			
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	परीक्षाफल का प्रतिशत	प्रथम श्रेणी संख्या	द्वितीय श्रेणी संख्या	तृतीय श्रेणी संख्या	अनुत्तीर्ण

5. **शाला का परीक्षा परिणाम—**

(अ) शाला का कुल परीक्षा परिणाम :—

क्र.	कक्षा	कुल दर्ज संख्या			परीक्षा में सम्मिलित				प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	उत्तीर्ण का प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
	योग											

(ब) जाति/वर्गवार शाला का परिणाम :—

क्र.	कक्षा	कुल दर्ज	उत्तीर्ण बालक								उत्तीर्ण बालिका							
			अजा		अजजा		पि. वर्ग		सामान्य		अजा		अजजा		पि. वर्ग		सामान्य	
			सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत	सं.	प्रति-शत
	योग																	

6. कक्षावार प्रतिशत परीक्षा परिणाम :—

क्र.	कक्षा	कुल दर्ज	विद्यार्थी की संख्या									
			100% से 90%		90% से 80%		80% से 70%		70% से 60%		60% से 45%	
			कुल संख्या	एस.सी.+ एस.टी. संख्या	कुल संख्या	एस.सी.+ एस.टी. संख्या	कुल संख्या	एस.सी.+ एस.टी. संख्या	कुल संख्या	एस.सी.+ एस.टी. संख्या	कुल संख्या	एस.सी.+ एस.टी. संख्या
	योग											

7. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त शाला के विद्यार्थियों की जानकारी—

क्र.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	जाति	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	प्रावीण्य सूची में स्थान

8. शाला में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जानकारी—

क्र.	कुल दर्ज	प्रथम श्रेणी				योग
		अजा	अजजा	पि. वर्ग	सामान्य	

9. **व्यावसायिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं में शाला की उपलब्धियां :—**

क्र.	प्रतियोगिता परीक्षा का नाम	कुल शामिल	सफल प्रतियोगी की संख्या										कुल शामिल विद्यार्थियों से सफल प्रतियोगियों का प्रतिशत
			अजा		अजजा		पि. वर्ग		सामान्य		योग		
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	

10. **शाला की पाठ्यत्तर गतिविधियों में उपलब्धियां—**

क्र.	गतिविधि का नाम	संभाग/जोन स्तर					राज्य स्तर					राष्ट्रीय स्तर				
		अजा	अजजा	पि. वर्ग	सा.	योग	अजा	अज जा	पि. वर्ग	सा.	योग	अजा	अज जा	पि. वर्ग	सा.	योग
1.	क्विज															
2.	भाषण															
3.	तत्कालिक भाषण.															
4.	वाद-विवाद															
5.	विज्ञान मेला															
6.	विज्ञान पहेली															
7.	ओलंपियाड															
8.	राष्ट्रीय प्रतिभा खेल परीक्षा															
9.	अन्य															
10.	योग															

11. खेलकूल गतिविधियों में शाला की उपलब्धि—

क्र.	खेलविधा का नाम	राज्य स्तर की उपलब्धियां					राष्ट्र स्तर की उपलब्धियां				
		अजा	अजजा	पि. वर्ग	सा.	योग	अजा	अजजा	पि. वर्ग	सा.	योग

12. शाला में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) का गठन एवं उपलब्धियां

13. शाला में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) का गठन, कार्यकलाप, उपलब्धियां

14. शाला में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी :—

1. शाला हेतु कुल भू-क्षेत्रफल (एकड़) में :-
2. शाला में कुल कक्षों की संख्या :-
3. शाला में शौचालयों की संख्या :-
4. शाला के खेल मैदान का क्षेत्र (एकड़ में) :-
5. शाला में किस-किस खेल की सुविधायें है. :-
6. **शाला परिसर में कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी :-**

क्र.	प्रजाति का नाम	वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या

15. पुस्तकालय भवन/कक्ष में पुस्तकों की जानकारी—

क्र.	पुस्तकों की संख्या	पुस्तकों की लागत	प्रतिमाह लाभांवित छात्रों की औसत संख्या

16. कम्प्यूटर शिक्षा की जानकारी—

क्र.	पी.3/पी.4 कम्प्यूटरों की संख्या	कम्प्यूटर शिक्षक की संख्या	लाभांवित छात्रों की संख्या		
			बालक	कन्या	योग

17. शाला में विज्ञान प्रयोगशाला की जानकारी :—

क्र.	प्रयोगशाला का नाम	विज्ञान सामग्री की लागत	लाभांवित हो रहे छात्रों की संख्या		
			बालक	कन्या	योग

18. शाला में अध्ययनरत रहे पूर्व विद्यार्थियों की जानकारी जो किसी प्रतिष्ठित सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया हो:—

क्र.	विद्यार्थियों का नाम	जाति	उत्तीर्ण होने का वर्ष	सेवारत विभाग क्षेत्र का नाम	विभाग क्षेत्र में पद का नाम

19. शाला में विज्ञान क्लब का गठन वर्ष में क्लब द्वारा किये गये कार्य एवं उपलब्धियां
20. शाला में पर्यावरण क्लब का गठन, वर्ष में क्लब द्वारा किये गये कार्य एवं उपलब्धियां
21. शाला में साहित्यिक क्लब सभा का गठन, वर्ष में क्लब/सभा द्वारा दिये गये कार्य एवं उपलब्धियां
22. शाला में महत्वपूर्ण जयंतियों का आयोजन एवं उसमें छात्रों, शिक्षकों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों की सहभागिता
23. शाला में कैरियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में की गई कारगर व्यवस्था एवं उपलब्धि
24. शाला का सामुदायिक सहभागिता, कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी एवं योगदान

नोट :—

(1) संस्था प्रमुख के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित सील लगा होना चाहिए.

(2) विभागीय जिला अधिकारी एवं कलेक्टर की अनुशंसा होनी चाहिए.

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
सील

अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि (विद्यालय का नाम) .... ग्रा. पं. .... वि.खं. .... जिला .... (छ.ग.) राज्य स्तरीय आदर्श शाला पुरस्कार नियम 2005 की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं शाला को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है.

जिला अधिकारी के
हस्ताक्षर/सील

कलेक्टर
जिला ....

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 5-58/दो/आठ-परि./04 राज्य शासन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की सरकार के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 (सं 59 सन् 1988) की धारा 88 की आवश्यकतानुसार पारस्परिक (जिसे इसमें इसके पश्चात् करार कहा गया है) एक करार किया जाना आवश्यक हो गया है।

करार का प्रारूप जो दिनांक 21 नवम्बर, 2003 को प्रथम पक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे छत्तीसगढ़ सरकार कहा गया है) और द्वितीय पक्ष के रूप में उड़ीसा के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे उड़ीसा सरकार कहा गया है) के बीच सम्पन्न हुआ, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप करार राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर इस प्रारूप करार के संबंध में प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, को भेजा जावें।

अपर मुख्य, गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त प्रारूप करार के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त उल्लेखित तिथि से पूर्व प्राप्त सुझाव एवं या अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

अतएव, छत्तीसगढ़ सरकार एवं उड़ीसा सरकार, करार में उल्लेखित निबंधनो एवं शर्तो के अधीन यह पारस्परिक करार करते हैः-

1. प्रकृम वाहन के परमिटः-

(क) प्रक्रम वाहनों के लिए अर्न्तराज्यीय मार्ग का आशय है ऐसे मार्ग जैसा कि सहमति हुई हो तथा फेरो की संख्या एवं परमिट की संख्या परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होगी।

(ख) संबंधित राज्य के प्रकृम वाहन पारस्परिक करारकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार उस राज्य में पड़ने वाले मार्ग के भाग के लिए कर का भुगतान करेंगे।

(ग) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के संचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया एवं भाड़ा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा एक राज्य द्वारा जारी किये गये टिकिट पारस्परिक राज्य में वैध माने जायेंगे।

(घ) परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित मार्गो पर जब तक पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्थायी परमिट स्वीकृत नही किये जाते, संबंधित राज्य के नॉमिनी को परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएगें।

सहमत मार्गो के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट पर कर उसी भाँति देय होगा जैसा कि सहमत मार्गो के लिए स्थायी परमिट पर देय होता है।

(ड.) पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 88(7) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट स्वीकृत करने हेतु सामान्य सहमति जैसी और जब आवश्यक हो दे सकेंगे।

(च) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए, यदि प्रकृम वाहन मूल पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अर्न्तराज्यीय मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) यदि परिशिष्ट 'अ' में उद्धित मार्गो की दूरी के संबंध में कोई मतभेद पाया जाता है तो वह दोनों राज्यों के बीच पत्र व्यवहार के माध्यम से सुधार लिया जाएगा और यह करार के उपान्तंरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ज) इस करार के प्रभावशील के समय जो परमिट अस्तित्व में है उन्हें परिशिष्ट 'अ' में सहमत मार्गो के विरूद्ध जारी किया गया माना जाएगा।

(झ) यदि मार्ग की दूरी 250 कि.मी. से अधिक है तो संचालित सेवाएं एक्सप्रेस सेवा के रूप में मानी जावेगी।

(ञ) ऐसे मामलों में प्रक्रम यात्री सेवा प्रतिदिन दो एकल फेरा परमिट स्वीकृत हो और गृह राज्य से संचालन प्रारम्भ होता हो तो उस यात्री वाहन को गृह राज्य में ही रात्री विश्राम करना होगा।

(ट) सभी अंतर्राज्जीय मार्गो पर गृह राज्यों के प्रक्रम वाहनों को पारस्परिक राज्यों के प्रक्रम वाहनों पर समय चक्र में प्राथमिकता प्राप्त रहेगी।

2 स्थायी परमिट के अर्न्तगत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन :-

मोटर केब के लिए संविदा वाहन परमिट पर एक दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। प्रतिहस्ताक्षर से आच्छादित मोटरकेब पारस्परिक राज्य के वाहन कर का भुगतान प्रतिहस्तरित राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार करेंगे।

3 अस्थायी परमिट के अर्न्तगत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन :-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अर्न्तगत संख्या पर प्रतिबंध के बिना मोटरकेब के लिये, प्रत्येक माह अस्थायी परमिट एक वापसी फेरा हेतु, विशिष्ट अर्न्तराज्यीय मार्ग के दो सिमान्तो को जोड़ने के लिए, बिना प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के जारी किये जायेगें, पारस्परिक राज्य का वाहन कर अस्थायी परमिट की वैध समयावधि के लिए पारस्परिक राज्य को देय होगा।

4 स्थायी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः-

निजी सेवा यानों को स्वीकृत स्थायी अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्तरित राज्य वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा तथा ऐसे वाहनों का मोटरयान कर प्रतिहस्तरिक्षत राज्य कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किया जावेगा।

5 अस्थाई अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः—

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत निजी सेवा यानों को अधिकतम 30 दिवस के लिए परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत किया जावेगा। चाहे निर्धारित अंतर्राज्जीय मार्ग के लिए हो या किसी स्थान के लिए और ऐसे अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किए बिना स्वीकृत किए जा सकेगें, परन्तु करारकर्त्ता राज्य का मोटरयान कर उस राज्य के कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान करना होगा।

6 स्थायी परमिट के अर्न्तगत मालयान का सचालन :—

(क) प्रत्येक राज्य के मालयान परमिट पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप—धारा (1) के अर्न्तगत परमिट की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्तांक्षर किया जाएगा।

(ख) वाहन अपनी वापसी यात्रा में अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्ही दो बिन्दुओं के बीच उस राज्य के किसी स्थान व मार्ग पर माल को चढ़ाने व उतारने का कार्य नहीं करेगा।

परन्तु अग्रेषित यात्रा में पारस्परिक राज्य के किसी बिन्दु पर माल उतारने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु उस राज्य में कोई माल चढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे माल वाहनों का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत के अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात परमिट जारी करने के विवरण सहित संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जावेगा।

(ग) पारस्पिरिक एक दूसरे राज्य की माल वाहनें प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के अन्तर्गत संचालित होती है तो प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के लिए रूपयें 6000/—प्रतिवर्ष वाहन कर देय होगा। कर का भुगतान न्यूनतम एक वर्ष के लिए अग्रिम में किया जावेगा, बशर्ते परमिट वैघ हो एवं दोनों राज्य सहमति के आधार पर कर की दर में परिवर्तन कर सकते है तथा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में संग्रहित करने एवं उक्त बैंक ड्राफ्ट को परमिट जारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य के प्राधिकार को भेजा जायेगा।

(घ) यदि प्रतिहस्ताक्षर परमिटधारी कर का भुगतान पूर्व में भुगतान किये गये कर की वैधता समाप्त होने की तिथि से 2 माह के अन्दर करने में असफल रहता है तो प्रतिहस्ताक्षर निरस्त माना जाएगा और यदि वाहन स्वामी नवीनीकरण के लिए उपस्थित होता है तो रू. 1000/—जुर्माने की राशि भुगतान करने पर उसे अनुमति दी जाएगी।

(ड.) जो मालयान अपने मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है, उसके परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

7 अस्थायी परमिट के अन्तर्गत मालयान का संचालनः–

प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी पारस्परिक राज्य की पूर्व सहमति के बिना मालयानों के लिए किसी भी संख्या में अस्थायी परमिट जारी कर सकेंगे। इस प्रकार जारी किया गया अस्थायी परमिट निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगाः–

(क) मालयान का उपयोग अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्ही दो बिन्दुओं पर माल को चढ़ाने व उतारने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) ऐसे माल वाहन का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति के समय अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने पश्चात् परमिट ज़ारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जायेगा।

8 सामान्यः–

(क) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अन्तर्गत पारस्परिक राज्य के कोरीडोर श्रेणी के मार्ग के लिए पाररपरिक राज्य का कर परमिट अनुसार निर्धारित दूरी के लिए गृह राज्य द्वारा लिया जाएगा एवं उक्त दूरी के कोरीडोर मार्ग के संबंध में पारस्परिक राज्य द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा।

(ख) पारस्परिक राज्य कर भुगतान प्राधिकार पत्र एवं इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गो पर संचालित मोटरयान के परिचालक लायसेंस को मान्यता प्रदान करेगें।

(ग) पारस्परिक राज्य के वाहन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के हो, और जिनका उपयोग अनार्थिक उद्देश्य से किया जाता हो मोटरयान कर के भुगतान से पूर्णतः मुक्त होगें।

(घ) नवीन सड़क निर्माण की स्थिति में प्रकृम वाहन को समझौते में उल्लेखित अन्तर्राज्यीय मार्ग के विचलित मार्ग से संचालन की अनुमति संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार के अनुमोदान पश्चात् ही दी जाएगी।

(ड.) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत अंतर्राज्जीय मार्गो पर संचालित यात्री वाहनों में उल्लेखित प्रभेदक बोर्ड वाहन के सामने की ओर प्रदर्शित करेंगे जिस पर उड़िया एवं हिन्दी भाषा में मार्ग का स्थान एवं गंतव्य स्थल का उल्लेख होगा। प्रक्रम वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(च) पारस्परिक राज्य एक दूसरे राज्य की प्रकृम वाहन को अपने अधिसूचित बस स्टेण्ड में यात्री चढ़ाने एवं उतारने की अनुमति प्रदान करेगें।

(छ) यह पारस्परिक करार तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक दोनों राज्यों के मध्य इसका पुर्नविलोकन न हो और एक नवीन करार प्रभावशील न हो जाए अथवा आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की सूचना देकर करार को विखण्ड़ित नहीं कर दिया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से
हस्ताक्षरित

(आर.के. विज)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
रायपुर

उड़ीसा के राज्यपाल की ओर से
हस्ताक्षरित

(पी.के. मिश्रा)
विशेष सचिव
उड़ीसा शासन
परिवहन विभाग
केम्प– रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

परिशिष्ट– " अ "

उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित संचालन हेतु अर्न्तरप्रान्तीय मार्गो का विवरण–

स. क.	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में		कुल योग	परमिट संख्या		फेरो की संख्या		कुल कि.मी. संचालित		सेवा का प्रकार
		उड़ीसा	छत्तीसगढ़		उड़ीसा	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ द्वारा उड़ीसा में	उड़ीसा द्वारा छत्तीसगढ़ में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आउल से भिलाई व्हाया चण्डीखोल, कटक, संबलपुर सुहेला	472	209	681	2	2	2	2	944	418	एक्सप्रेस
2	बरगढ़ से बिलासपुर व्हाया सारंगढ, भटगांव, शिवरीनारायण	120	159	279	2	2	2	2	240	318	एक्सप्रेस
3	बरगढ़ से कोरबा व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, चांपा	120	175	295	1	2	1	2	240	175	एक्सप्रेस
4	बरगढ़ से रायगढ़ व्हाया भटली, नवपड़ा, चन्द्रपुर	92	87	179	4	4	8	8	736	696	साधारण
5	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सोहेला, सरिया	46	181	227	2	2	4	4	184	724	साधारण.
6	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सारंगढ, रूचदा, सरिया	52	87	139	2	2	4	4	208	348	साधारण
7	बरगढ़ से शक्ति व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, खरियार	76	120	196	2	2	4	4	304	480	साधारण
8	बारीपड़ा से रायपुर व्हाया केंवझर, सम्बलपुर, लोहरछटी	355	181	536	2	2	2	2	710	362	एक्सप्रेस
9	बरपाली से रायपुर व्हाया बरगढ लोहरछटी, बसना, आरंग	128	181	309	2	2	2	2	256	362	एक्सप्रेस
10	बेलपहाड़ से अम्बिकापुर व्हाया रायगढ़	45	214	259	2	2	2	2	90	428	एक्सप्रेस
11	बरहमपुर से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, जगदलपुर	404	150	554	2	2	2	2	808	300	एक्सप्रेस

12	बरहमपुर से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द, आरंग	473	109	582	4	2	4	2	946	436	एक्सप्रेस
13	भवानीपटना से जगदलपुर व्हाया जुनागढ़, नवरंगपुर, कोटपाड, चांदली	384	22	406	2	2	2	2	768	44	एक्सप्रेस
14	भवानीपटना से रायपुर व्हाया धरमगढ़, देवभोग	80	229	309	2	2	2	2	160	458	एक्सप्रेस
15	भीखमपाली से शाना (आस्था) व्हाया कनकतोरा, रायगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी	36	199	235	2	2	4	4	144	796	साधारण
16	भुनेश्वर से भिलाई व्हाया कटक, धनकेनाल, संबलपुर, लोहरछटी	422	209	631	2	2	2	2	844	418	एक्सप्रेस
17	भदरक से रायपुर व्हाया केंवझर, लोहरछटी	400	181	581	2	0	2	0	0	362	एक्सप्रेस
18	भुनेश्वर से दुर्ग व्हाया कटक, धनकनाल, संबलपुर, बरगढ़, लोहरछटी, रायपुर, भिलाई	422	235	657	2	0	2	0	0	470	एक्सप्रेस
19	बिलासपुर से बरहमपुर व्हाया, रायपुर, महासमुन्द, भवानीपटना	338	227	565	2	2	2	2	676	454	एक्सप्रेस
20	बलांगीर से रायपुर व्हाया बरगढ़, सोहेला, सरायपाली	195	181	376	2	2	2	2	390	362	एक्सप्रेस
21	भवानीपटना से रायपुर व्हाया खरियार	130	109	239	2	2	2	2	260	218	साधारण
22	भवानीपटना से दुर्ग व्हाया खरियार, रायपुर	130	149	279	2	2	2	2	260	298	एक्सप्रेस
23	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया बोरीगुमा	121	60	181	2	1	4	2	242	240	साधारण
24	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया चांदली	121	21	142	2	2	4	4	484	84	साधारण
25	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया कोरापुर, ज्योपुर, बोरीगुमा, धनपुजी, जगदलपुर, कांकेर	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	एक्सप्रेस
26	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया सोनबेड़ा, कोरपुट, ज्योपुर, उमरकोट.	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	एक्सप्रेस

27	धरमगढ से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द, आरंग	205	109	314	4	4	4	4	820	436	एक्सप्रेस
28	हाथीबांधा से रायपुर व्हाया खरियाररोड	115	109	224	2	2	4	4	460	436	साधारण
29	जगदलपुर से धमतरी व्हाया करपावंट, सिनसारी, उमरकोट, रायगढ़ा	120	166	286	2	2	2	2	240	332	एक्सप्रेस
30	जगदलपुर से सीनापाली व्हाया धरमगढ़, नवरंगपुर, आमपानी, जुनागढ	195	21	216	2	2	2	2	390	42	साधारण
31	जरीगांव से जगदलपुर व्हाया अनवारी, चांदली	75	21	96	2	2	4	4	300	84	साधारण
32	जरीगांव से जगदपलपुर व्हाया चांदली	114	21	135	2	2	4	4	456	84	साधारण
33	झारसुगड़ा से कुनकुरी व्हाया पाली सांकरा, तपकरा	88	45	133	1	1	2	2	176	90	साधारण
34	झारसुगडा से रायपुर व्हाया सम्बलपुर, बरगढ़,लोहरचांटी, सरायपाली	145	181	326	1	1	1	1	145	181	एक्सप्रेस
35	झारसुगड़ा से जशपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुंनकुरी	88	86	174	2	2	4	4	352	344	साधारण
36	जयपुर से जगदलपुर व्हाया चांदली	65	21	86	2	2	8	8	520	168	साधारण
37	जयपुर से जगदलपुर व्हाया	130	21	151	2	2	4	4	520	84	साधारण
38	जयपुर से रायपुर व्हाया जगदलपुर, कोटपाट, चांदली	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	एक्सप्रेस
39	जयपुर से रायपुर व्हाया नवरंगपुर, उमरकोट, कोण्डगांव	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	एक्सप्रेस
40	झारसुगड़ा से अम्बिकापुर व्हाया पत्थलगांव, लावाकेरा	88	200	288	2	2	2	2	176	400	एक्सप्रेस
41	झारसुगड़ा से चिरमिरी व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुनकुरी, पत्थलगांव	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	एक्सप्रेस

42	झारसुगड़ा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया सुन्दरगढ, सबडेगा, पत्थलगांव, अम्बिकापुर	88	296	384	2	2	2	2	176	592	एक्सप्रेस
43	कंटाभांजी से रायपुर व्हाया नवपदा, महासमुन्द	230	109	339	2	2	2	2	460	218	एक्सप्रेस
44	खरियार से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द	180	109	289	2	2	2	2	360	218	एक्सप्रेस
45	कोण्डागांव से उमरकोट व्हाया रायघर	22	32	54	2	2	8	8	176	280	साधारण
46	कोरापुट से रायपुर व्हाया जयपुर, नरंगपुर, उमरकोट, दन्डसरा, कांकेर, धमतरी	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	एक्सप्रेस
47	कोरापुर से रायपुर व्हाया जयपुर, कोटपाट, चांदली, जगदुलपुर, कांकेर	90	222	312	4	4	4	4	360	1288	एक्सप्रेस
48	कुचीन्दा से रायगढ़ व्हाया ब्रजराजनगर, भीखमपाली, कनकतोरा, रेंगारपाली	227	8	235	2	2	2	2	454	36	साधारण
49	लड्डूगांव से जगदलपुर व्हाया चांदली	105	21	126	1	1	2	2	210	42	साधारण
50	लिकमा से जगदलपुर व्हाया चांदली	85	21	106	2	2	4	4	340	84	साधारण
51	मलकानगिरी से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, कोटपाद, चांदली	220	21	241	2	2	2	2	440	42	साधारण
52	मुखीगुड़ा से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियार	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	एक्सप्रेस
53	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, चांदली	60	80	140	2	2	4	4	240	320	साधारण
54	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया चांदली	115	105	220	2	2	4	4	460	420	साधारण
55	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया उमरकोट	165	58	223	2	2	4	4	660	232	साधारण
56	नरसिंगनाथ से रायपुर व्हाया नवपदा, खरियाररोड, महासमुन्द	104	107	211	2	2	4	4	416	428	साधारण
57	पद्मपुर से रायपुर व्हाया पैकमल, नवपदा, खरियाररोड	160	109	269	2	2	4	4	640	436	एक्सप्रेस

58	पारालाखेमुंडी से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, कोरापुट, जगदलपुर	340	150	490	2	2	2	2	680	300	एक्सप्रेस
59	पटनागढ़ से रायपुर व्हाया पद्मपुर, खरियार	248	200	448	2	2	2	2	496	400	एक्सप्रेस
60	फुलवानी से रायपुर व्हाया बलांगीर, बरगढ़, सरायपाली	290	181	471	2	2	2	2	580	362	एक्सप्रेस
61	पुरी से भिलाई व्हाया कटक, धनकानाल, संबलपुर, रायपुर	482	216	698	2	2	2	2	964	432	एक्सप्रेस
62	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धरमगढ़	80	299	379	2	2	2	2	160	598	एक्सप्रेस
63	राजनांदगांव से कांटाभांजी व्हाया रायपुर, महासमुन्द, खरियार	80	179	259	2	2	2	2	160	358	एक्सप्रेस
64	राउरकेला से कुनकुरी व्हाया राजगांगपुर, सुबडेगा, लावाकेरा, तपकरा	147	45	192	0	1	0	2	294	0	साधारण
65	राउरकेला से अम्बिकापुर व्हाया सुबडेगा	147	270	417	2	2	2	2	294	540	एक्सप्रेस
66	राउरकेला से भिलाई व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	293	213	506	2	2	2	2	586	426	एक्सप्रेस
67	राउरकेला से जसपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, कुनकुरी	204	86	290	2	2	2	2	408	172	एक्सप्रेस
68	राउरकेला से रायगढ़ व्हाया बृजराजगनर, झारसुगड़ा	168	27	195	2	1	4	2	336	168	साधारण
69	राउरकेला से रायपुर व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	283	181	464	2	2	2	2	566	362	एक्सप्रेस
70	रायपुर से एरलागांव व्हाया रायघर, उमरकोट	73	186	259	2	2	2	2	146	372	एक्सप्रेस
71	राजाखरियार से रायपुर व्हाया महासमुन्द	185	109	294	2	2	2	2	370	218	एक्सप्रेस
72	संबलपुर से अम्बिकापुर व्हाया बरगढ़, पत्थलगांव	90	215	305	2	2	2	2	180	430	एक्सप्रेस
73	संबलपुर से कोरबा (बाल्को) व्हाया बरगढ़, लोहरछटी, सांरगढ़, चन्द्रपुर, शक्ति	90	175	265	2	2	2	2	180	350	एक्सप्रेस

74	सम्बलपुर से सारंगढ़ व्हाया बिरनापाली	80	80	160	02	02	04	04	320	320	साधारण
75	सम्बलपुर से रायपुर व्हाया बरगढ़, लोहरछटी	101	181	282	06	06	12	12	1212	2172	एक्सप्रेस
76	सम्बलपुर से बिलासपुर व्हाया शिवरीनारयण, सारंगढ़	164	239	403	04	04	04	04	656	956	एक्सप्रेस
77	सम्बलपुर से रायगढ़ व्हाया झारसुगुड़ा, कनकतोरा	132	18	150	02	02	04	04	528	72	साधारण
78	सुन्दरगढ़ से रायगढ व्हाया गोपालपुर, तपारिया	72	24	96	01	01	02	02	144	48	साधारण
79	सुन्दरगढ़ से बिलासपुर व्हाया झारसुगुड़ा, कनकतोरा, रायगढ़, सारंगढ़	105	108	213	02	02	02	02	210	360	एक्सप्रेस
80	उमरकोट से जगदलपुर व्हाया चॉदली	126	21	147	02	02	04	04	504	84	साधारण
81	बरगढ़ से सारंगढ़ व्हाया रूसदा, सरिया	52	35	87	01	01	02	02	104	70	साधारण
82	पुरी से रायपुर व्हाया भुवनेश्वर, सोनेपुर, बलांगीर, बरगढ़, सरायपाली	507	181	688	04	02	04	02	1014	724	एक्सप्रेस
83	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धर्मगढ़	80	299	379	02	04	02	04	320	598	एक्सप्रेस
84	सम्बलपुर से रायगढ़ व्हाया भीमापाली, सारंगढ़	80	132	212	02	04	02	04	320	264	साधारण
85	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्ड़ातरई, चिखली, चन्द्रपुर, बिरनापाली, सोहेलाबायपास	46	91	137	01	01	02	02	92	182	साधारण
86	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्ड़ातरई, चन्द्रपुर, बरमकेला, भुक्ता, भटली	46	69	115	01	01	02	02	92	138	साधारण
87	रायपुर से राउरकेला व्हाया सरायपाली, सारगढ़	168	269	437	02	04	02	04	672	538	एक्सप्रेस

88	कोरापुट से कांकेर व्हाया ज्यौपुर, जगदलपुर	87	179	266	02	04	02	04	348	358	एक्सप्रेस
89	नवरंगपुर से कांकेर	115	58	173	04	02	04	02	230	232	साधारण
90	मलकानगिरी से जगदलपुर	1[illegible]9	21	190	06	02	06	02	338	126	साधारण
91	रायपुर से सुहेला व्हाया बंजारीनाका	08	200	208	01	04	01	04	32	200	साधारण
92	बिलासपुर से सम्बलपुर व्हाया सारंगढ़, सरायपाली	99	192	291	02	04	02	04	396	384	एक्सप्रेस
93	रायगढ़ से राउरकेला व्हाया झारसुगुडा	138	27	165	06	02	06	02	276	162	साधारण
94	बसना से पदमपुर	21	21	42	04	04	08	08	168	168	साधारण
95	सरायपाली से पदमपुर	20	20	40	04	04	08	08	160	160	साधारण

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 5-58/दो/आठ-परि./04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 25-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

GOVERNERMENT OF CHHATTISGARH
HOME (TRANSPORT) DEPARTMENT
MANTRALAY D.K.S.BHAWAN, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur Dated. 25-08-2005

No. F-5-58/Two/Eight/Tra./2004, Whereas it is necessary to revise and enter into a fresh Reciprocal Transport Agreement (hereinafter called agreement) between the Government of Orissa & Chhattisgarh State for inter State transport under section 88 of the Motor Vehicle Act,1988 (No.59 of 1988)

This draft agreement made on the 21 November 2003 between the Government of Chhattisgarh (hereinafter called "The Government of Chhattisgarh") of the one part and the Government of Orissa (hereinafter called "The Government of Orissa") of the other, is hereby, published as required by sub-section (5) of section 88 of the said Act for information all likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft agreement will be taken in to consideration by the addl. Chief Secretary Government of Chhattisgarh Home (Transport) Department after the Expiry of thirty (30) days from the date of publication of this notification in Chhattisgarh Gazette.

Proposal of representation to this draft agreement may be sent to the Addl. Chief Secretary Government of Chhattisgarh Home (Transport) Department.

Now therefore the Government of Orissa & Government Chhattisgarh hereby enters in to this agreement on the terms and Conditions set out hereinafter.

1. **Stage Carriage Permits**:-

(a) Unless there is anything repugnant to the subject or context, inter -state routes agreed for stage carriages shall mean the routes as agreed upon and number of trips and number of permits shall be as Annexure ``A``

(b) A stage carriage of respective state shall pay motor vehicle taxes as per taxation Act of the respective state in respect of the portion falling in that state.

(c) The fares and freight chargeable by the operator in the reciprocating state shall be as approved by the countersigning Authority of that state. The tickets issued by the one state shall be valid in the reciprocating state.

(d) Till the substantive permits on the routes mentioned in the Annexure``A`` here to are granted by the respective Transport Authorities, temporary permits to the nominees of the respective States shall be issued by the Transport Authorities of that State and shall be countersigned by the Transport Authorities of the reciprocating state.

The tax chargeable on temporary permits issued on the agreed routes within agreed trips shall be same as charged for substantive permits on the agreed routes.

(e) The Transport Authority of the reciprocating State may accord general concurrence under section 88 (7) of the said Act for issue of temporary permit as and when required.

(f) For the safety and convenience of passengers, the stage carriage shall not be allowed to ply on interstate routes, if, it is more then 10 years of age from the date of its initial registration.

(g) If any discrepancy is found in the distances of routes shown in the Annexure ``A`` the same shall be corrected through correspondence between the states and it shall not be treated as modification in the agreement.

(h) The permits in existence on the commencement of this agreement shall be deemed to be issued against the agreed routes in Annexure ``A``

(i) If the total length of the route is more than 250 Km, the stage carriage shall be express.

(j) In case of a stage carriage two trips per day, the stage carriage shall start its journey from the home State and shall make night halt in the home State.

(k) On all inter state routes, the stage carriages of the home state shall have precedence in timings over the stage carriages of the reciprocating state.

2. Contract Carriage operation of motor –cabs & maxi-cabs on Substantive permits:-

The contract carriage permits for motor cab & maxi-cab shall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State with out any restriction on numbers. The motor –cab 7 maxi –cab shall pay the moter vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

3. Contract carriage operation of motor –cabs & maxi-cabs on Temporary Permits:-

Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act,1988 may be issued for motor-cabs &maxi.cabes for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for single return trip for a specified inter-state route, connecting specified terminus

without countersignature . The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permit so issued may be valid.

4. **Operation of Private Service Vehicles on Substantive Permits:-**

The permits for private service vehicle shall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating state without any restriction on numbers. The private service vehicle shall pay the motor vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

5. **Operation of Private Service Vehicles on Temporary Permits:-**

Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act,1988may be issued for private service vehicles for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for a specified inter-state route, connecting specified. terminus without countersignature. The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permits so issued may be valid.

6. **Goods Carriage Operation on Substantive Permits**:-

(a) The goods carriage permits of each State shall be countersigned by the Transport Authority of the other State in accordance with the provisions of sub-section 88 of the said Act without any restriction on the number of such permits.

(b) The vehicles shall not on their return Forney pick-up any goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating state for setting down such goods at any place or route in that State.

Provided that on the forward journey there shall be no restriction on setting down goods anywhere in the reciprocating State but no goods shall be picked up in that State.

(c) The goods carriages of respective State plying on substantive permit countersigned by State Transport Authority of reciprocating state shall be liable to pay tax Rs.6000/- for minimum one year in advance for which authorization shall be issued subject to validity of substantive primary permit. Both the States may revise this tax rate mutually as and when required. Tex due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the state Transport Authority of the reciprocating State along with a statement of permits issued.

(d) if the countersignature holders fail to pay tax due within 2 months from the date of expiry of the period for which the tax was last paid, the countersignature shall be demand to be cancelled and if the owner appears for renewal of authorization, it may be allowed on payment of fine of Rs. 1000/-.

(e) No countersignature on the permits shall be granted to a goods carriage which is 12 years old or more from the date of initial registration.

7. **Goods Carriage Operation on Temporary Permit:-**

Transport Authority of either State without prior concurrence of the reciprocating Stale shall issue any number of temporary permit for goods carriages. Temporary permit so issued shall be subject to the following conditions:-

(a) That the vehicle shall not be used for picking up and setting down goods between any two points lying

exclusively within the jurisdiction of the reciprocating state.

(b) That the vehicle shall be liable to pay the motor vehicle tax in advance to the reciprocating state. Tax due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the State along with a statement o permits issued.

8. <u>General</u> :-

(a) The motor vehicle tax of the reciprocating state in respect of corridor(enclave portion as per second proviso to section 88(1) of M.V.Act.1988) in reciprocating stale shall be charged by the home state for the distance covered as per permit and no tax shall be charged by the reciprocating state in respect of the corridor for that distance.

(b) The reciprocating State shall accord recognition to tax payments, authorization, and conductor licenses for motor vehicles plying on the inter-state routes in accordance with this agreement.

(c) The vehicles owned by the Government of reciprocating State used for non-commercial purpose shall be totally exempted from payment of motor vehicles tax in the reciprocating State.

(d) The stage carriage shall be permitted to divert their services on inter-state routes specified in the agreement in case of construction of new road subject to the approval of concerned State Transport Authority.

(e). Each stage carriages shall carry a bilingual board written in Oriya and Hindi indicating terminus points of the inter-state route.

(f) Both the reciprocating states shall allow the stage carriages of the other state to take up and settle down the passengers from their respective notified bus terminals.

(g) This agreement shall remain in force until it is reviewed and a new agreement comes into force of until it is rescinded or modified by mutual consent on three months notice by either side.

On behalf of the Governor of Chhattisgarh

sd/-
(R.K.vij)
special secretary
Govt. of Chhattisgarh
Home (Transport) Department
camp Bhubneshwer Orissa

On behalf of the Governor of Orissa

sd/-
(P.k.Mishra)
special secretary
Govt. of Orissa,
Transport Department
Bhubneshwer

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V.K.S. THAKUR, Special Secretary.

CH-

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

SL NO	NAME OF ROUTES	Distance in Orissa	Distance in Chhattisgarh	Total distance	No of permits		No of trips		Total kms covered		Nature of service
					Orissa	Chhattisgarh	Orissa	Chhattisgarh	Chhattisgarh in Orissa	Orissa in Chhatisgarh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aul to Bhilai via-Chandikhol,Cuttack ,Sambalpur & Sohela	472	209	681	2	2	2	2	944	418	Express
2	Bargarh to Bilaspur Via: Saria, Sarangarh, Bhatgaon, Seorinarayan	120	159	279	2	2	2	2	240	318	Express
3	Bargarh to Korba Via: Saria, Chandrapur Champa.	120	175	295	1	2	1	2	240	175	Express
4	Bargarh to Raigarh via: Bhatli, Nuapada, Chandrapur.	92	87	179	4	4	8	8	736	696	Ordinary
5	Bargarh to Raipur Via: Sohela, Saria	46	181	227	2	2	4	4	184	724	Ordinary
6	Bargarh to Raigarah Via Sarangarh,Ruchida, Saria	52	87	139	2	2	4	4	208	348	Ordinary
7	Bargarh to Shakti Via: Saria, Chandrapur, Khariyar.	76	120	196	2	2	4	4	304	480	Ordinary
8	Baripada to Raipur Via Keonjhar,Sambalpur Luharchati.	355	181	536	2	2	2	2	710	362	Express
9	Barpali to Raipur Via: Bargarh, Luharchati Basana, Aranga.	128	181	309	2	2	2	2	256	362	Express
10	Belpahad to Ambikapur via Raigarh	45	214	259	2	2	2	2	90	428	Express
11	Berhampur to Bailadila Via :Jaypore, Jagdalpur	404	150	554	2	2	2	2	808	300	Express
12	Berhampur to Raipur Via: Bhawanipatna Khariar Road, Mahasamund Aranga	473	109	582	4	2	4	2	946	436	Express

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

ANNEXURE-A

13	Bhawanipatna to Jagdalpur Via: Junagarh Nawrangpur, Kotpad, Chandili	384	22	406	2	2	2	2	768	44	Express
14	Bhawanipatna to Raipur via Dharmgarh,Deobhog.	80	229	309	2	2	2	2	160	458	Express
15	Bhikampali toSana (Astha) Via: Kanaktora, Raigarh,Pathalgaon Kunkuri	36	199	235	2	2	4	4	144	796	Ordinary
16	Bhubaneswar to Bhilai Via; Cuttack Dhenkanal ,Sambalpur, Luharchati.	422	209	631	2	2	2	2	844	418	Express
17	Bhadrak to Raipur via. Keonjhar, Loharchhati	400	181	581	2	0	2	0	0	362	Express
18	Bhubaneswar to Durg Via: Cuttack, Dhenkanal Sambalpur, Bargarh, Luharchati, Raipur, Bhilai.	422	235	657	2	0	2	0	0	470	Express
19	Bilaspur to Berhampur Via:Raipur, Mahasamund Bhawanipatna.	338	227	565	2	2	2	2	676	454	Express
20	Bolangir to Raipur Via-Bargarh, Sohela, Saraipali	195	181	376	2	2	2	2	390	362	Express
21	Bhawanipatna to Raipur via: Khariar	130	109	239	2	2	2	2	260	218	Ordinary
22	Bhawanipatna to Durg via: Khariar,Raipur	130	149	279	2	2	2	2	260	298	Express
23	Damanjodi to Jagadalpur Via; Boriguma.	121	60	181	2	1	4	2	242	240	Ordinary
24	Damanjodi to Jagadalpur Via; Chandili	121	21	142	2	2	4	4	484	84	Ordinary
25	Damanjodi to Raipur Via: Koraput, Jaypore, Boriguma,Dhanpunji, Jagdalpur,Kanker	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	Express

HA

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

26	Damanjodi to Raipur Via: Sunabeda, Koraput ,Jeypore,Umerkote	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	Express
27	Dharmgarh to Raipur Via: Bhawanipatna, Khariar Road ,Mahasamund, Arang.	205	109	314	4	4	4	4	820	436	Express
28	Hatibandha to Raipur Via: Khariar Road	115	109	224	2	2	4	4	460	436	Ordinary
29	Jagdalpur to Dhamtari Via:Karpawand,Sinsari, Umerkot,Raygada.	120	166	286	2	2	2	2	240	332	Express
30	Jagdalpur to Sinapali via: Dharamgarh, Nawrangpur, Ampani, Junagarh	195	21	216	2	2	2	2	390	42	Ordinary
31	Jarigaon to Jagdalpur via: Anwari,Chandili	75	21	96	2	2	4	4	300	84	Ordinary
32	Jarigoan to Jagdalpur via: Chandili	114	21	135	2	2	4	4	456	84	Ordinary
33	Jharsuguda to Kunkuri via Balisankara, Tapkera.	88	45	133	1	1	2	2	176	90	Ordinary
34	Jharsuguda to Raipur via: Sambalpur, Bargarh, Loharchati, Saraipali	145	181	326	1	1	1	1	145	181	Express
35	Jharsuguda to Jaspurnagar, Via Sundergarah ,Telijore , Taparia,Kunkuri	88	86	174	2	2	4	4	352	344	Ordinary
36	Jeypore to Jagadalpur via Chandili	65	21	86	2	2	8	8	520	168	Ordinary
37	Jeypore to Jagdalpur	130	21	151	2	2	4	4	520	84	Ordinary
38	Jeypore to Raipur Via: Jagdalpur ,Kotpad, Chandili,	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	Express

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

39	Jeypore to Raipur via: Nawarangpur Umerkot,Kondagaon	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	Express
40	Jharsuguda to Ambikapur Via: Pathalgaon Lawakera	88	200	288	2	2	2	2	176	400	Express
41	Jharsuguda to Chirimiri via: Sundargarh ,Telijore Tapkera,Kunkuri, Pathalgaon.	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	Express
42	Jharsuguda to Manendragarh via Sundargarh Subdega,Pathalgaon, Ambikapur	88	296	384	2	2	2	2	176	592	Express
43	Kantabanji to Raipur, Nuapada, Mahasamud,	230	109	339	2	2	2	2	460	218	Express
44	Khariar to Raipur via: Bhawanipatna, Khariar Road, Mahasamund	180	109	289	2	2	2	2	360	218	Express
45	Kondagaon-Umerkote.via: Raighar	22	35	57	2	2	8	8	176	280	Ordinary
46	Koraput to Raipur via: Jaypore, Nawarangpur, Umerkot,Dandsara, Kanker,Dhamtari.	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	Express
47	Koraput to Raipur via- Jeypore, Kotpad, Chandili, Jagdalpur,Kanker	90	322	412	4	4	4	4	360	1288	Express
48	Kuchinda to Raigarh Via: Brajrajnagar, Bhikampali, Kanaktora,Rengalpali,	227	18	245	2	2	2	2	454	36	Ordinary
49	Ladugaon to Jagdalpur via:Chandili	105	21	126	1	1	2	2	210	42	Ordinary
50	Likma to Jagdalpur via:Chandili	85	21	106	2	2	4	4	340	84	Ordinary
51	Malkangiri to Jagdalpur via: Jeypore, Kotpad,Chandili	220	21	241	2	2	2	2	440	42	Ordinary

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

ANNEXURE-A

52	Mukhiguda to Raipur via: Bhawanipatna, Khariar	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	Express
53	Nawrangpur to Jagdalpur Via-Jeypore,Chandili	60	80	140	2	2	4	4	240	320	Ordinary
54	Nawrangpur to Kanker via: Chandili	115	105	220	2	2	4	4	460	420	Ordinary
55	Nawrangpur to Kanker via: Umerkote	165	58	223	2	2	4	4	660	232	Ordinary
56	Nursinhanath to Raipur via: Nuapada, KhariarRoad Mahasamund	104	107	211	2	2	4	4	416	428	Ordinary
57	Padmapur to Raipur Via: Paikmal,Nuapada,Khariar Road	160	109	269	2	2	4	4	640	436	Express
58	Paralakhemundi to Bailadila via: Jeypore Koraput, Jagdalpur.	340	150	490	2	2	2	2	680	300	Express
59	Patnagarh to Raipur via: Padmapur,Khariar:	248	200	448	2	2	2	2	496	400	Express
60	Phulbani to Raipur via: Bolangir, Bargarh, Saraipali.	290	181	471	2	2	2	2	580	362	Express
61	Puri to Bhilali via: Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur,Luharchati, Raipur.	482	216	698	2	2	2	2	964	432	Express
62	Rajnandgaon to Bhawanipatna via: Raipur ,Gariyaband,Deobhog, Dharamgarh	80	299	379	2	2	2	2	160	598	Express
63	Rajnandgaon to Kantabanji via: Raipur ,Mahasamund, Khariar	80	179	259	2	2	2	2	160	358	Express
64	Rourkela to Kunkuri via-Rajgangpur, subdega, Lawakera,Tapkera	147	45	192	0	1	0	2	294	0	Ordinary

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHATTISGARH

65	Rourkela to Ambikapur via; Subdega	147	270	417	2	2	2	2	294	540	Express
66	Rourkela to Bhilai via: Sambalpur ,Luharchati.	293	213	506	2	2	2	2	586	426	Express
67	Rourkela to Jashpurnagar Via-Sundargarh, Telijore,Kunkuri	204	86	290	2	2	2	2	408	172	Express
68	Rourkela to Raigarh via; Brajrajnagar,Jharsuguda	168	27	195	2	1	4	2	336	108	Ordinary
69	Rourkela to Raipur Via Sambalpur ,Loharchatti,	283	181	464	2	2	2	2	566	362	Express
70	Raipur to Erlagaon Via , Raighar,Umerkote	73	186	259	2	2	2	2	146	372	Express
71	Rajkhariar to Raipur via Mahasamund	185	109	294	2	2	2	2	370	218	Express
72	Sambalpur to Ambikapur Via: Bargarh ,Pathalgaon	90	215	305	2	2	2	2	180	430	Express
73	Sambalpur to Korba (BALCO)Via: Bargarh,Luharchati,Sarangarh,Chandarpur,Shakti	90	175	265	2	2	2	2	180	350	Express
74	Sambalpur to Sarangarh via: Birnapali	80	80	160	2	2	4	4	320	320	Ordinary
75	Sambalpur to Raipur Via-Bargarh,Luharchati	101	181	282	6	6	12	12	1212	2172	Express
76	Sambalpur to Bilaspur via:Seorinarayan,Sarangarh	164	239	403	4	4	4	4	656	956	Express

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHHATTISHGARH

77	Sambalpur to Raigarh Vai Jharsuduga, Kanantora	132	18	150	02	02	04	04	528	72	Ordinary
78	Sundergarh to Raigarh Vai Gopalpur, Tapariya	72	24	96	01	01	02	02	144	48	Ordinary
79	Sundergarh to Bilaspur Vai Jharsuduga, Kanantora, Raigarh, Sarangarh	105	180	285	02	02	02	02	210	360	Express
80	Umerkot to Jagdalpur Vai Chandili	126	21	147	02	02	04	04	504	84	Ordinary
81	Bargarh to Sarangarh Vai Ruchida, Saria,	52	35	87	01	01	02	02	104	70	Ordinary
82	Puri to Raipur Vai Bhubneshwar, Sonepur, Balangir, Bargarh, Saripali	507	181	688	04	02	04	02	1014	724	Express
83	Rajnandgaon to Bhawanipatna Vai Raipur, Gariyaband, Deobhog, Dhamgarh	80	299	379	02	04	02	04	320	598	Express
84	Sambalpur to Raigarh Vai Bhimapali, Sarangarh	80	132	212	02	04	02	04	320	264	Ordinary
85.	Raigarh to Bargarh Vai Kondatarai, Chikhli, Chandrapur, Birnapali, Sohela by pass	46	91	137	01	01	02	02	92	182	Ordinary
86	Raigarh to Bargarh Vai Kondatarai, Chandrapur Baramkela Bhukta, Bhathly	46	69	115	01	01	02	02	92	138	Ordinary
87	Raipur to Raurkela Vai Saripali, Sarangarh	168	269	437	02	04	02	04	672	538	Express
88	Koraput to Kanker Vai Jeoypur, Jagdalpur	87	179	266	02	04	02	04	348	358	Express
89	Navarangpur to Kanker	115	58	173	04	02	04	02	230	232	Ordinary
90	Malkhangiri to Jagdalpur	169	21	190	06	02	06	02	338	126	Ordinary
91	Raipur to Sohela Vai Banjarinaka	08	200	208	01	04	01	04	32	200	Ordinary

ANNEXURE-A

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHHATTISHGARH

92	Bilaspur to Sambalpur Vai Sarangarh, Saripali	99	192	291	02	04	02	04	396	384	Express
93	Raigarh to Raurleka Vai Jharsuguda	138	27	165	06	02	06	02	276	162	Ordinary
94	Basna to Padampur	21	21	42	04	04	08	08	168	168	Ordinary
95	Saripali to Padampur	20	20	40	04	04	08	08	160	160	Ordinary

रायपुर दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 2-121/दो/आठ-परि/05.— राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 113 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को सभी प्रकार के माल वाहन के अनुज्ञा-पत्रों में शर्तें जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देता है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में दी गई शर्तें राज्य में जारी अथवा जारी होने वाले समस्त माल वाहन परमिट में तथा अन्य राज्यों के माल वाहन परमिट जिसका प्रतिहस्ताक्षर छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, उनमें संलग्न की जायेगी :—

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाले प्रत्येक मालयान के अनुज्ञा-पत्रों की निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य शर्तें होगी :—

(एक) धारा 113 की उप-धारा (1) के उद्देश्यों के लिए किसी भी मालयान में सकलयान भार (जो उस वाहन के पंजीयन पुस्तिका में अंकित है) से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

(दो) जहां राज्य शासन द्वारा धारा 115 के अन्तर्गत किसी मार्ग अथवा क्षेत्र में मालयान अथवा अन्य मोटरयानों का उपयोग प्रतिबंधित अथवा निर्बंधित किया गया हो अथवा किया जाता है तो उस प्रतिषिद्धि अथवा निर्बंधित मार्गों अथवा क्षेत्रों में उक्त आदेश के अनुसार लगाई गई रोक की सीमा से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

(तीन) जहां राज्य के किसी भी जिले में यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 115 के अंतर्गत किसी मार्ग अथवा क्षेत्र में मालयान अथवा अन्य मोटरयानों का उपयोग प्रतिबंधित अथवा निर्बंधित किया गया हो तो उस प्रतिषिद्धि अथवा निर्बंधित मार्गों अथवा क्षेत्रों में उक्त आदेश के अनुसार लगाई गई रोक की सीमा से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम कोरबा की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 188/1 की 6.80 एकड़ की समाविष्ट भूमि कोरबा नगर स्थित जिला कोरबा (1) उत्तर में पावरहाउस रोड की ओर जाने वाला मार्ग (2) दक्षिण में कोरबा रोड मुख्य मार्ग (3) पूर्व में ईन्लाजाईन 182 (4) पश्चिम डब्ल्यू.सी.एल. की ओर जाने वाला मार्ग, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु कोरबा में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आयुक्त नगर निगम कोरबा को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur the 4th September 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consulation with Municipal Corporation Korba, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 6.80 Hectare of Survey Number 188/1 situated at City Korba, District Korba surrounded by (1) Way to go towards power house road in North (2) Main Road towards Korba Road in South (3) East in Inlajoin-182 (4) Road towards W.C.L. in West as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Korba to Maintain the said bus stand, building of works necessary there to end realize necessary fees from owners/ operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005/419.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम राजनांदगांव की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 38/2 की 1.04 एकड़ की समाविष्ट भूमि राजनांदगांव नगर स्थित जिला राजनांदगांव (1) उत्तर में बाउन्ड्री जेल (2) दक्षिण में जी. ई. रोड (3) पूर्व में बी. एन. सी. मिल (4) पश्चिम में बलदेवबाग रास्ता से घिरे, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु राजनांदगांव में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, आयुक्त नगर निगम राजनांदगांव को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur the 4th October 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005/419.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consulation with Municipal Corporation Rajnandgaon, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 1.04 Hectare of Survey Number 38/2 situated at City Rajnandgaon, District Rajnandgaon surrounded by (1) Jail Boundry in Noth (2) G. E. Road in South (3) East in B.N.C. Mill (4) Baldev Bagh Way in West as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Rajnandgaon to Maintain the said bus stand, building of works necessary there to end realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक/563/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	नवागांवकला	0.94	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.स.यो. मेनरोड से भलपहरी सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक/565/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	पाण्डातराई	3.82	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.स.यो. पाण्डातराई से मडमडा सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक/569/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	दशरंगपुर	1.45	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.स.यो. मेनरोड से पलानसरी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक/573/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	चरखुराकला	2.39	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.स.यो. मेनरोड से भलपहरी सड़क सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 7593/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रातापायली प.ह.नं. 19	1.16	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	अर्जुनी-रातापायली मार्ग के कि.मी. 2/6-8 पर शिवनाथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7803/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुर्सीटिकुल प.ह.नं. 61	4.930	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के खुर्सीटिकुल लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7804/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कन्हारपुरी प.ह.नं. 64	4.070	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के कन्हारपुरी लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक 7836/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कोलिहालमती प.ह.नं. 55	17.727	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के डुबान (निर्माण).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2005

क्रमांक 2420/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	नवापारा	3.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.30 अ-82, 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुद, प. ह. नं. 36/50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302	0.02
650/1	0.09
651	0.13
593/1	0.04
1066	0.06
595	0.01
303	0.01
649	0.16
297	0.02
299	0.05
596/2	0.01
628	0.20
551	0.03
300	0.05
580	0.04
653	0.18

(1)	(2)
499	0.05
629/2	0.01
1060	0.09
581	0.05
1195	0.12
592	0.04
1196/1	0.05
498	0.04
552	0.06
648	0.13
298/1	0.04
1067	0.05
501	0.01
627	0.03
594	0.06
1063	0.01
1198	0.12
569	0.09
553	0.04
550	0.02
500	0.01
1196/2	0.09
591/1	0.02
591/2	0.02
1065	0.05
650/2	0.04
650/3	0.07
1064	0.10
590	0.03
1207/1	0.12
योग	2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.31 अ-82, 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-समोदा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
754	0.25
745	0.04
710	0.01
753	0.10
712	0.04
722	0.32
726	0.02
724	0.07
728	0.07
723/2	0.02
727	0.08
723/1	0.01
711	0.01
योग	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.32 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
608	0.01
609	0.05
762	0.03
588	0.04
591	0.24
610	0.06
612	0.03
644	0.05
632/1	0.12
640	0.12
657	0.08
658	0.06
643	0.07
764	0.06
567	0.05
617	0.17
679/1	0.10
611	0.06
679/2	0.04
653	0.01
590	0.02
589	0.08
763	0.05
688	0.03
642	0.03
568	0.02
654	0.06
641	0.06
765	0.01
676	0.09
632/3	0.12
योग	2.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.33 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
707/1	0.02
705	0.13

(1)	(2)
704	0.07
642	0.07
703	0.07
644	0.06
737	0.26
643	0.03
.706	0.17
743	0.03
645/1	0.05
योग	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.34 अ-82, 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-करमंदी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
620/1	0.01
626	0.09
630	0.02
588	0.08
536	0.03
598/2	0.08
602	0.09
603	0.02
534	0.08
537	0.04
535	0.03
621	0.12
600	0.04
624	0.06
587	0.08
629	0.05
623	0.06
627	0.06
योग	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.35 अ-82, 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कागदेही, प. ह. नं. 36/50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1641	0.01
1596	0.01
1591	0.07
1782	0.04
1781	0.01
1706	0.04
1592	0.02
1725	0.04
1770/1	0.10
1771	0.01
1785	0.08
1705	0.04
1707	0.06
1669	0.01
1637	0.04
1791	0.01
1638	0.06
1726	0.07
1590	0.02
1668	0.06
1709	0.02
1769	0.01
1615	0.09
1793	0.07
1593	0.05
1587	0.01
1616	0.01
1586	0.08
1632	0.04
1595	0.09
1704	0.01
1792	0.03
1642	0.07
1794	0.07
1770/2	0.01
1784/1	0.05
1708	0.03
1727	0.02
1643	0.01
1639	0.08
128	0.06
115	0.07
114	0.02
127	0.01
130	0.03
7	0.06
129	0.04
118	0.04
8	0.06
6	0.06
116	0.06
योग	2.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा-भू. अ./अ.वि.अ./प्र.क्र.36 अ-82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-आरंग, प. ह. नं. 60/42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.229 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1553/1	0.101

(1)	(2)
1607/1 क	0.028
1602/1	0.230
1588/1.	0.097
1623/1	0.134
1617/2 क, 1617/2 ख	0.078
1624, 1625	0.144
1222/7 र	0.809
1286/13	0.009
1286/9	0.121
1286/11	0.041
1286/12	0.101
1288/5	0.034
1216/2	0.302
योग	2.229

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत वितरिका क्रमांक 23 से माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, क्लेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

प्र. क्र. 8 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-बीसाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
120	0.40
123	0.40
124	0.35
209/4	0.18
209/2	0.07
135/4	0.10
135/13	0.10
135/10	0.16
135/19	0.16
योग	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत बांध पार एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

प्र. क्र. 9 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-छिरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
280/8	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिरहा व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2005

प्र. क्र. 10 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-हरिनछपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
156/2	0.13
162	0.12
263/1	0.65
263/4	0.35
263/5	0.23
263/6	0.20
264	0.12
265	0.05
267/4	0.03
284/1	0.60
योग	2.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.